ग्रामीण अवैध कॉलोनी की कार्रवाई को न्यायालय ने सही माना

शहरी क्षेत्र के आवेदकों की सुनवाई के लिए कलेक्टर को किया आदेशित, मामला : कालापीपल की अवैध कॉलोनी पर एफआईआर का

शाजापुर, 21 अगस्त. अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए शुजालपुर अनुभाग के अंतर्गत पिछले दिनों कुछ कॉलोनाइजरों के खिलाफ नोटिस के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी. शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ शुजालपुर एसडीएम द्वारा कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने कार्यवाही के विरोध में इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. चूंकि दो अलग-अलग क्षेत्र के मामले हैं. शहरी क्षेत्र में एफआईआर कराने के लिए सक्षम अधिकारी कलेक्टर होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए एसडीएम को अधिकार हैं. कोर्ट ने शहरी क्षेत्र के मामले में कलेक्टर को सुनवाई के लिए आदेशित किया है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के मामले में न्यायालय द्वारा एसडीएम शुजालपुर के किए गए अंतरिम और अंतिम आदेश को सही पाया गया और ग्रामीण क्षेत्र के कॉलोनाइजरों की याचिका खारिज कर दी.

गौरतलब है कि जुलाई 2025 को शुजालपुर एसडीएम द्वारा पानखेड़ी नगर परिषद को आदेशित किया था कि अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए. यह एफआईआर सक्षम अधिकारी कलेक्टर के लिखित आदेश पर ही की गई थी. तो वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत भरदी में भी कुछ अवैध कॉलोनियों के खिलाफ शुजालपुर एसडीएम द्वारा कार्यवाही की गई है, जिसको उच्च न्यायालय ने सही पाया. और ग्रामीण मामले में कॉलोनाइजरों की याचिका खारिज कर दी. नगर परिषद पानखेड़ी के मामले में भारत सिंह ने पिटीशन क्रमांक डब्ल्यूपी 31844/2025 शुजालपुर एसडीएम द्वारा 28 जुलाई 2025 को जो एफआईआर के आदेश नगर परिषद पानखेड़ी को दिए थे, वो सक्षम अधिकारी शाजापुर कलेक्टर के लिखित आदेश पर ही किए गए थे. जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश में पुनः शाजापुर कलेक्टर को अनावेदकों की सुनवाई हेतु आदेशित किया है. याने अब मामला शहरी क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों कीसुनवाई शाजापुर कलेक्टर द्वारा की जाएगी. वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत भरदी की पिटीशन क्रमांक डब्ल्यूपी 31767/2025 दिलीप सिंह विरूद्ध मप्र शासन के खिलाफ शुजालपुर एसडीएम अर्चना कुमारी ने 28 जुलाई 2025 को एफआईआर के आदेश ग्राम पंचायत नियम 2014 के अंतर्गत दिए थे. इस प्रकरण में शासन द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा गया था. ग्राम पंचायत भरदी की पिटीशन क्रमांक 31673 शैलेष और ग्राम पंचायत भरदी, 31681 कुमेरसिंह की याचिका खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने एसडीएम शुजालपुर अर्चना कुमारी द्वारा अंतरिम एवं अंतिम आदेश को सही पाया गया और अनावेदक कॉलोनाइजरों की याचिका खारिज कर दी. इस मामले में माननीय न्यायालय ने एसडीएम शुजालपुर को किसी प्रकार की न फटकार लगाई और न किसी प्रकार की कोई टिप्पणी आदेश में उल्लेखित की.

अब कलेक्टर करेंगी शहरी क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों की सुनवाई

शुजालपुर अनुभाग के अंतर्गत नगर परिषद पानखेड़ी की पिटीशन क्रमांक 31844 भारतसिंह ने जो याचिका उच्च न्यायालय इंदौर में दायर की थी, उस पर उच्च न्यायालय ने आदेश देते हुए शाजापुर कलेक्टर को सुनवाई के आदेश दिए हैं . वहीं ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत की अवैध कॉलोनियों के मामले में शुजालपुर एसडीएम की कार्यवाही को न्यायालय ने सही पाया और ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत की अवैध कॉलोनियों में अवैध कॉलोनाइजरों ने जो याचिका न्यायालय में लगाई थी, उसे खारिज कर दिया गया .

किसीभी एफआईआर को निरस्त नहीं किया गया

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की गई किसी भी एफआईआर को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने के आदेश नहीं दिए गए हैं . न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि शाजापुर कलेक्टर आवेदकों की पुन : सुनवाई करें . वहीं दूसरी ओर किसी भी अवैध कॉलोनी की एफआईआर को निरस्त करने का कोई भी मामला कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया गया है .

इनका कहना है

नगर परिषद क्षेत्र में सभी कार्यवाही सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार की गई है. ग्रामीण क्षेत्र भरदी के कॉलोनाइजरों के विरूद्ध की गई एफआईआर के आदेश के विरूद्ध की याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा शुजालपुर एसडीएम के अंतरिम आदेश पर स्पष्ट कहा कि मामला रफा-दफा नहीं किया गया है. कॉलोनाइजरों को समय दिए जाने के बाद भी नियम कापालन नहीं किया गया, तो परिणामी आदेश स्वरूप एफआईआर के आदेश न्याय संगत नैसर्गिक सिद्धांतों के पालन उपरांत दिए गए हैं, जिसमें कॉलोनाइजरों को धारा 226 के तहत कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है. ग्रामीण क्षेत्र की याचिका खारिज की गई है.

- अर्चना कुमारी, एसडीएम शुजालपुर

एक नजर में

साथी को खोने पर थाना परिसर में नम हुई पुलिस की आंखें

शुजालपुर, 21 अगस्त . अकोदिया मार्ग पर बुधवार की शाम को विभागीय कार्य के लिए जाने के दौरान शुजालपुर सिटी थाना के एचसीएम नरेंद्र परमार की बाइक की टक्कर अन्य वाहन से हुई थी . जिसके बाद गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया . अस्पताल में उपचार के दौरान नरेंद्र ने दम तोड़ दिया . इस दु :खद खबर पर शोक छा गया . सिटी थाना परिसर में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की उपस्थिति में दिवांगत हुए नरेंद्र परमार को विधिवत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस कर्मियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी . इस दौरान विभाग की और तत्कालीन सहायता परिजन को प्रदान की गई . हंसमुख एवं मिलनसार व्यक्तित्व के धनी प्रधान आरक्षक नरेंद्र पुलिस थाना सिटी में लगभग 3 वर्षों से सेवा दे रहे थे, इसके चलते हुए विभागीय सहकर्मियों के साथ ही आमजन में भी काफ ी परिचित थे .

माटी गणेश को लेकर प्रशिक्षण संपन्न

मोहन बड़ोदिया, 21 अगस्त . देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं जन अभियान के उपाध्यक्ष मोहन नागर के द्वारा माटी से बने गणेश जी की प्रतिमा को इस वर्ष गणेश उत्सव के समय हर घर-घर विराजित करने हेतु आह्वान किया गया . इसी कड़ी में गुरुवार को दोपहर जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया .जिसमें मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विष्णु प्रसाद नागर, विकासखंड समन्वयक बसंत रावत, जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया, भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार कलमोदिया, तहसील उपाध्यक्ष अशोक फौजी, तहसील मंत्री नरेन्द्र पाटीदार, नवांकुर संस्था अध्यक्ष रामकिशन राजपूत द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया . कार्यक्रम की रूपरेखा में बसंत रावत ने बताया कि जन अभियान परिषद के द्वारा आज सिद्ध विनायक गणेश की मूर्ति मिट्टी से निर्माण का प्रशिक्षण मोहन बड़ोदिया जनपद पंचायत के सभागृह रखा गया . इस दौरान बड़ी संख्या में जन अभियान परिषद और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर मिट्टी के गणेश बनाए .

हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर, 21 अगस्त . प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी रामचन्द्र पिता धूलजी परमार आयु 56 साल निवासी बरवाल जिला शाजापुर को भादवि की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए का अर्थदंड, धारा 307 में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 323 में छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1 बी) (बी) 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया . आरोपी दिलीप पिता रामचन्द्र को भादवि की धारा 323 में विचारण के दौरान भुगताई गई 234 दिवस की अवधि एवं रुपए 500 अर्थदंड से दंडित किया गया . अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी ने बताया कि फरियादि हुकुमसिंह गुजर ने पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर पर 12 अगस्त 2023 की रात को इस आशय की घटना की रिपोर्ट लेख कराई थी कि 11 .8 .2023 को रात के करीबन नौ बजे वह अपने दोस्त धर्मेन्द्र सिंह पिता मदनसिंह गुर्जर, निर्भयसिंह पिता बाबूलाल, ओम पिता बाबूलाल सोंती निवासी हरणगांव, इंदर सिंह निवासी हरणगांव, प्रेम सोंती निवासी दशहरा मैदान शाजापुर के साथ एबी रोड बायपास शाजापुर पर दिलीप दा ढाबा पर खाना खाने गए थे . रात करीबन 11 बजे हम लोग खाना खाकर वापस घर जाने के लिए उठे, तो दिलीप परमार खाने के अधिक रुपए मांगने लगा, तो निर्भय सिंह ने बोला कि ज्यादा रुपए क्यों मांग रहा है, तो इसी बात पर से दिलीप परमार निर्भय सिंह को गाली देने लगा, तब मैं और मेरे साथ आए . मेरे दोस्त आरोपी दिलीप परमार को समझाने लगे, तो दिलीप का पिता रामचन्द्र ढाबे में रखी लोहे की नुकीली धारदार गुप्ती निकालकर जान से मारने की नीयत से निर्भय सिंह के ऊपर सीने में व कमर में दो तीन वार किए . मैं बीच बचाव करने गया, तो रामचन्द्र ने मुझे भी जान से मारने की नीयत से गुप्ती की मारी . जिससे मेरे दाहिने हाथ में चोट लगी तथा दिलीप परमार ने डंडे से मेरे साथ व निर्भय सिंह के साथ मारपीट की . तब मेरा दोस्त धर्मेन्द्रसिंह पिता मदनसिंह ने बीच बचाव करने आया, तो धर्मेन्द्र पिता मदनसिंह को रामचन्द्र ने गुप्ती से दाहिने हाथ में चोंट पंहुचाई . फिर हम लोग निर्भय सिंह को घायल अवस्था में बैठाकर ईलाज के लिए सरकारी अस्पताल में लाए, तो वहां पर डॉक्टर ने निर्भयसिंह की मृत्यु होना बताया . मेरा और धर्मेन्द्र का ईलाज सरकारी अस्पताल शाजापुर में हुआ था . फरियादि की उक्त सूचना पर से थाना कोतवाली शाजापुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया . संपूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया था . प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपनिदेशक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर एवं रमेश सोलंकी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन

कनासिया नाके पर निर्मित हुए जानलेवा गड्ढे

प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौन, दो जिलों की सीमा बना बहाना

मक्सी, 21 अगस्त. नगर के कनासिया नाका चौराहे की हालत दिनोंदिन बद से बदतर होती जा रही है. सड़क पर गहरे और बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं जो कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं. हैरत की बात यह है कि इस मार्ग से प्रतिदिन अधिकारी, नेता और प्रशासनिक अमला गुजरता है, लेकिन किसी की नजर इन गड्ढों पर नहीं पड़ रही है, या यूं कहें कि सब जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं.

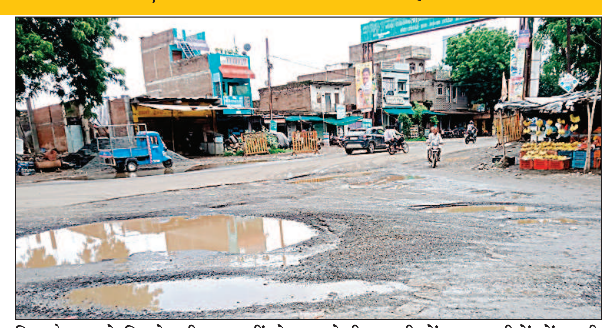

इस चौराहे की एक और गंभीर समस्या यह है कि यह उज्जैन और शाजापुर जिलों की सीमा पर स्थित है. जिसके चलते जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है और मरम्मत का कार्य लगातार टलता जा रहा है. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन तभी जागेगा जब कोई बड़ी जनहानि होगी. ग्रामीणों व राहगीरों में भारी आक्रोश है. बारिश के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जब गड्ढों में पानी भर जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा दोगुना हो जाता है. क्षेत्रिय जनता ने मांग की है कि संबंधित विभाग और दोनों जिलों का प्रशासन शीघ्र इस ओर ध्यान दे और सड़क की मरम्मत कार्य को प्राथमिकता में ले.

इनका कहना है

निरीक्षण उपरान्त तात्कालिक राहत अधिकृत तात्कालिक कार्य करा दिया जाएगा.

-हर्षवर्धन सिंह मुवेल, कार्यपालन यंत्री

नेशनल स्टूडेंट पर्यावरण प्रतियोगिता ईसीओ मित्रम एप के माध्यम से कराई

शुजालपुर, 21 अगस्त. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहम्मद खेड़ा में नेशनल स्टूडेंट पर्यावरण प्रतियोगिता ईसीओ मित्रम एप के माध्यम से कराई गई, बच्चों को जिला पर्यावरण संयोजक मूलचंद वर्मा ने पेड़ पौधों की रक्षा करना, पेड़ लगाना एवं पॉलीथिन का उपयोग न करना, खराब पॉलिथीन को एक बोतल में भरकर इको ब्रिक्स बनाकर पेड़ पौधों के आसपास क्यारी बनाने मे उपयोग करना, जल का संरक्षण करना, कम से कम जल का उपयोग करना बताया. साथ ही जिला शैक्षणिक संस्थान प्रमुख हुकुम सिंह देश प्रेमी ने पर्यावरण पर कविता सुनाई, बच्चों ने उनका ताली बजा कर जोरदार स्वागत किया. इस अवसर पर सुनील रैकवार, सरपंच प्रतिनिधि बापूसिंह मेवाड़ा, ग्राम पंचायत सचिव, संस्था के संस्था प्रधान हजारीलाल यादव व स्टाफ के सभी सदस्य व बच्चों उपस्थित रहे. कार्यक्रम का संचालन स्काउट मास्टर विक्रम सिंह कुश्वाह ने किया. एप के माध्यम से बच्चों ने ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रश्नावली देकर प्राप्त किया.

ग्राम मंडोदा से गुम हुई युवती

मोहन बड़ोदिया, 21 अगस्त. ग्राम मंडोदा के होकम सिंह पिता देवचन्द भिलाला द्वारा मोहन बड़ोदिया थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बुधवार को खेत पर गए तभी उनकी 20 वर्षीय कहीं चली गई है, उन्हें उनके पड़ोस के लड़के राजेश पिता सूरज के साथ चले जाने का शक है जिस पर मोहन बड़ोदिया पुलिस ने गुम इंसान कायम कर विवेचना में लिया.

वहीं एसडीओपी जीएस चौहान मोहन बड़ोदिया थाने पहुंचे और बताया कि मोहन बड़ोदिया थाने में गुम इंसान कायम कर विवेचना में लिया गया है. वहीं दोनों पक्षों में आपस में विवाद भी हुआ, इसको लेकर बड़ी संख्या में गुरुवार को लोग मोहन बड़ोदिया थाने पहुंचे हैं और दोनों पक्षों की और से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. मोहन बड़ोदिया थाने पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष को पहुंचने से मोहन बड़ोदिया पुलिस को बाहरी बल को भी बुलाना पड़ा. जिस पर जिले के अन्य थानों में सलसलाई, उकावता, सुनेरा सहित अन्य थानों से थाना प्रभारी सहित पुलिस जवान भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे. वहीं थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने बताया कि गुम हुई बालिका की तलाश की जा रही है जल्द ही बालिका को दस्तयाब कर आगे की कार्यवाही की जाएगी.

स्व . राजीव गांधी की जन्म जयंती मनाई

शुजालपुर, 21 अगस्त. गांधी पार्क के समीप पंडित लीलाधर जोशी समाधि स्थल तपोवन पर स्व. राजीव गांधी की जन्म जयंती पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई. शहर कांग्रेस अध्यक्ष रईस पठान के नेतृत्व में स्व. राजीव गांधी की जयंती पर समस्त कांग्रेसजनों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए. कांग्रेस नेताओं ने स्व.गांधी के द्वारा किए गए महान कार्यो का उल्लेख किया. वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज की स्थापना की, वे सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने. उन्होंने कंप्यूटर युग को भारत देश मे लाने की पहल की, वो संचार क्रान्ति के जनक थे. उन्होंने 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार दिया. इस अवसर पर केदार मेवाड़ा, कैलाश उपलावदिया, महेन्द्र नाहर, मोहनसिंह पंवार, बल्ला सोनी, हाजी सिद्दीक पठान, रमेश दुबे, विष्णु शर्मा, हसन रजा कुरैशी, सलीम मंसूरी, अकरम खान, मनोहर जाटव, मुकेश मेवाड़ा, रामचरण परमार, दीपक शर्मा, जसमत परमार, अजबसिंह मेवाड़ा, अशोक विजयवर्गीय, देवकरण जावरिया, कदीर अंसारी, सूरजसिंह मीणा, पीयुष शर्मा, मोहन राणा, प्रमोद कुमार, विक्रम सिंह, रामप्रसाद करंजिया, अनिल अग्रवाल, राजेन्द्र मेवाड़ा, अभिषेक मेवाड़ा, गोलू शेख, राशिद पठान आदि उपस्थित रहे.

बीकेएसएन कॉलेज में शुरू हुआ अल्पकालीन प्रशिक्षण

शाजापुर, 21 अगस्त. प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बीकेएसएन गवर्नमेंट कॉलेज शाजापुर में 20 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले अल्पकालीन टेली अकाउटिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. वीपी मीणा ने की. सर्वप्रथम मां सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्जवलन एवं माल्यार्पण किया गया. समन्वयक डॉ. आरसी चौहान ने अल्पकालीन प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की. कार्यक्रम के प्रशिक्षक पवन सोनी ने कहा कि इस प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टेली के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया जाएगा. इसके अंतर्गत नई कंपनी का निर्माण, खाते बनाना, लाभ-हानि ज्ञात करना, चिठ्ठा बनाना, जीएसटी की गणना आदि जानकारी प्रदान की जाएगी. इस अवसर पर विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्टेशनरी प्रदान की गई. प्राचार्य डॉ. मीणा ने कहा कि वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए यह कोर्स अत्यंत लाभकारी है. उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे नियमित रूप से प्रशिक्षण में उपस्थित रहें. कार्यक्रम में डॉ. बीके सोलंकी, डॉ. निलेश महाजन, डॉ. बीएल मालवीय, प्रो. प्रकाश बर्फा उपस्थित रहे. कार्यक्रम का संचालन एवं आभार डॉ. सुनील आडवानी ने किया.

एक नजर में — **सर्व हिंदू उत्सव समिति की बैठक में 62 समाज हुए शामिल**

दो साल कार्यकाल पूर्ण करने के बाद सर्व समाज ने फिर चुना नागर को

शाजापुर, 21 अगस्त. श्रीकृष्ण व्यायामशाला द्वारा संचालित सर्व हिंदू उत्सव समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें करीब 62 समाज के लोगों ने भाग लिया. सर्व हिंदू उत्सव समिति द्वारा दो साल का विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जनसहयोग की राशि का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और दो साल के लिए गठित सर्व हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष आशीष नागर ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर पहले त्याग पत्र दिया. इसके बाद सर्व समाज ने सर्व सम्मति से पुनः भाजपा नगर अध्यक्ष आशीष नागर को सर्व हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया.

गौरतलब है कि शाजापुर शहर में बीते चार दशकों से श्रीकृष्ण व्यायामशाला द्वारा संचालित सर्व हिंदू उत्सव समिति जो शहर के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है. दशहरा, दीपावली, होली और अन्य सनातनी पर्वों का संचालन सर्व हिंदू उत्सव समिति द्वारा किया जाता है. अभी तक सर्व हिंदू उत्सव समिति में जो भी अध्यक्ष बनता था, उसे हटाना पड़ता था, लेकिन यह पहला अवसर है जब दो साल पहले पं. आशीष नागर को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था. तो उनका कार्यकाल दो साल का था. दो साल पूरे होते ही उन्होंने सभी समाज के लोगों को बुलाकर पहले अपने कार्यकाल में किए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी और जनसहयोग से जो राशि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एकत्रित की गई, उसका आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया. और अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल समाप्त होने पर त्याग पत्र दिया. इसके बाद नए अध्यक्ष चयन को लेकर पूर्व पार्षद राजेश पारछे, कांग्रेस नेता नरेश कप्तान, नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष जोशी ने नए अध्यक्ष के लिए आशीष नागर को पुनः मनोनीत किया. इस अवसर पर शाजापुर विधायक अरुण भीमावद, श्रीकृष्ण व्यायामशाला अध्यक्ष वीरेंद्र व्यास, ट्रस्टी रूपकिशोर नवाब, आशुतोष शर्मा, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, धर्म जागरण प्रमुख अनूप किरकिरे, वीरेंद्र सिंह गोहिल, रामवीरसिंह सिकरवार, किरण ठाकुर, प्रदीप चंद्रवंशी, महेश प्रजापति, महेश भावसार, गोविंद नायक, तुलसीराम भावसार, दिलीप भंवर, कैलाश मटोलिया सहित सैकड़ों की संख्या में समाजजन मौजूद थे. कार्यक्रम का संचालन मनीष सोनी ने किया.

हिन्दू समाज के लिए बनेगा बायपास...

सर्व हिंदू उत्सव समिति की बैठक में विधायक अरुण भीमावद ने कहा कि वर्तमान जो बायपास है, उससे हिंदू समाज को कोई फायदा नहीं है . इसलिए उन्होंने एक और नया बायपास स्वीकृत कराया है, जिससे राजपूत समाज, गुर्जर समाज और अन्य हिंदू समाज को इस बायपास का फायदा मिलेगा . क्योंकि वर्तमान बायपास पर हिंदू समाज की जमीन कम होने से इसका लाभ हिंदू समाज को नहीं मिल रहा है . लेकिन नए बायपास से हिंदू समाज मजबूत होगा और आने वाले समय में शाजापुर शहर में भी पार्किंग व्यवस्था के लिए जगह चिन्हित की गई है, ताकि शहर में पार्किंग की समस्या खत्म हो सके . उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए फोरलेन, नर्मदा का पानी, मेडिकल कॉलेज सहित कई विकास की स्वीकृतियां मिल चुकी है, जिनका जल्द ही भूमिपूजन किया जाएगा .

हिन्दू समाज के लिए अर्थिक सहायता को बनेगा

बैठक में हिंदू समाज के लिए जो लोग आगे आते हैं, उनकी आर्थिक सहायता और साम्प्रदायिक विवाद के दौरान कानूनी प्रक्रिया के लिए आर्थिक सहायता कोष गठित करने की बात भी कही गई . शाजापुर विधायक अरुण भीमावद ने इस अवसर पर हिंदू समाज के लिए कानूनी प्रक्रिया के लिए आर्थिक सहायता कोष के लिए दो लाख रुपए की घोषणा की . इस अवसर पर विधायक अरुण भीमावद ने कहा कि यदि शहर में साम्प्रदायिक तनाव के दौरान किसी भी हिंदू युवा पर कानूनी कार्यवाही होती है, तो उसका पूरा केस हिंदू समाज लड़े . उसकी जमानत की व्यवस्था पीड़ित व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज करे . तभी समाज मजबूत होगा . इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष जोशी ने कहा कि सर्व हिंदू समाज धार्मिक त्यौहारों के साथ-साथ सामाजिक और रचनात्मक कार्य भी करे . अति गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सर्व हिंदू समाज को आगे आना चाहिए, जिससे हिंदू समाज मजबूत होगा . इस अवसर पर नरेश कप्तान ने कहा कि यहां भाजपा-कांग्रेस नहीं जो समाज के लिए काम करेगा, वो स्वीकारा जाएगा . क्योंकि समाज से ही नेता बनता है . इसलिए पहले समाज, फिर राजनीति .

नई पहल : पहले अध्यक्ष हटाते थे, लेकिन ये स्वैच्छा से हटे...

सर्व हिंदू उत्सव समिति में जो भी अध्यक्ष बनता था, उसे हटाने के लिए समिति को काफी मेहनत करना पड़ती थी . यहां तक कि कुछ बरसों में सर्व हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पद को लेकर मामला न्यायालय तक भी पहुंचा . लेकिन ये पहला अवसर होगा जब दो साल के लिए आशीष नागर अध्यक्ष मनोनीत हुए थे तो उन्होंने अपनी इच्छा से कार्यकाल पूरा करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दिया . बाद में सभी समाजजनों ने पुन : उन्हें नए कार्यकाल के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया .